निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 वैशाख 1939 (श0)

(सं0 पटना 419) पटना, वृहस्पतिवार, 18 मई 2017

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना

अधिसूचना
16 मई 2017

सं0 01 —विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0 39) (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 29–क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एतद् द्वारा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विनियम, 1998 (समय–समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित (संशोधन) विनियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम प्रारंभ और विस्तार :–**(1) यह विनियमावली बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (संशोधन) विनियमावली, 2017 कही जा सकेगी।

(2) इस विनियमावली का क्रम संख्या 03 एवं 04 में वर्णित प्रावधान 01 जून 2016 से तथा अन्य प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना निर्गत होने की तारीख से प्रवृत्त होगें।

(3) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

2. उक्त विनियमावली 1998 के विनिमय 2 (छ) में उल्लिखित परिभाषा के उपरान्त निम्नलिखित परिभाषाएँ (ज) (झ) (ञ) एवं (ट) जोड़ी जायेगी : –

(ज) 'निरंतर लोक अदालत' से अभिप्रेत है विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा–19 के अधीन गठित लोक अदालत, जो सिविल न्यायालयों के सभी कार्यदिवसों पर सतत् तथा नियमित रूप से बैठक करती है;

(झ) 'विषेष लोक अदालत' से अभिप्रेत हैं विनिर्दिष्ट विषय या विषयों पर विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अधीन गठित लोक अदालत, जो सिविल न्यायालयों के सभी कार्यदिवसों को बैठक नहीं करती है;

(ञ) 'मेगा लोक अदालत' से अभिप्रेत है सभी विषयों पर विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अधीन गठित लोक अदालत है, परन्तु जो सिविल न्यायालयों के सभी कार्यदिवसों को बैठक नहीं करती है;

(ट) 'स्थाई लोक अदालत' से अभिप्रेत है जन उपयोगी सेवाओं के संबंध में विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 22(ख) के अधीन गठित लोक अदालत ।

3. उक्त विनियमावली 1998 के विनियम **12** के उपविनियम **(i)** में शब्द एवं अंक ''250/– रूपये'' शब्द एवं अंक ''**2500/– रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित** किए जाएगें।

4. उक्त विनियमावली 1998 के विनियम के उपविनियम **16 (i)** में शब्द एवं अंक ''100/– रूपये'' शब्द एवं अंक ''1500/– रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगें।

5. उक्त विनियमावली, 1998 का विनियम–19 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

19. प्रत्येक व्यक्ति जो बिहार का एक सद्भावी निवासी है तथा जिसे किसी सिविल, दांडिक या राजस्व न्यायालय में या किसी अधिकरण, किषोर न्याय बोर्ड, उपभोक्ता मंच या किसी अन्य न्यायिक या अर्द्धन्यायिक प्राधिकार के समक्ष कोई मामला दाखिल करना है या उसका बचाव करना है, विधिक सेवा का हकदार होगा, यदि वह व्यक्ति विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन विधिक सेवाओं का हकदार है या वह :–

(क) एक किन्नर या ;

(ख) एक वरीय नागरिक या ;

(ग) एच0 आई0 वी0 से संक्रमित या किसी प्रकार के कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति या ;

(घ) असंगठित क्षेत्र का एक कर्मकार या ;

(ड़) तेजाब हमले का पीड़ित व्यक्ति या ;

(च) ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1,50,000/– रूपये से अधिक नही है या जो समय–समय पर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार नियमावली, 1996 के नियम 16 के अधीन समय–समय पर नियत किया जाय या ;

(छ) आय की सीमा के होते हुए भी, विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकार या राज्य प्राधिकार निम्नलिखित मामला में विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा :–

(i) अति सार्वजनिक महत्व के मामले मे ;

(ii) ऐसे मामले मे, जिसके निर्णय से समाज के कमजोर तबके से संबंधित अधिकाधिक व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो ;

(iii) किसी अन्य मामले मे, जिसमें , अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, कोई व्यक्ति विधिक सहायता का हकदार हो ।

6. उक्त विनियमावली,1988 का विनियम–25 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

"25 पैनल मे मौजूद विधि व्यवसायी को देय मानदेय (i) संबंधित विधिक सेवा समिति/जिला प्रधिकार/राज्य प्राधिकार एवं विधि व्यवसायियों का एक पैनल तैयार करेगा जो इन विनियमों के अधीन विधिक सहायता प्राप्त व्यक्ति की ओर से या जिला प्राधिकार या राज्य प्राधिकार की ओर से मामले मे प्रतिनिधित्व करने या अभिवचन करने को इच्छुक है ।

(ii) यदि पैनल का कोई अधिवक्ता स्वैच्छिक सेवा की पेशकश नही करता है तो न्यायालयों/किशोर न्याय बोर्ड/उपभोक्ता मंच/अधिकरण/न्यायिक या अर्धन्यायिक प्राधिकार मे कार्यरत ऐसे पैनल अधिवक्ता को देय फीस निम्नवत होगी–

(क) उच्च न्यायालय

(i) रिट याचिका, प्रतिशपथ पत्र, अपील के ज्ञापन, उत्तर, प्रत्युत्तर, पुनः आवेदन जैसे तात्विक अभिवचन के प्रारूपण पर–1500/– रूपये ।

(ii) सभी प्रकीर्ण/अंतवर्ती आवेदनों या इसके उत्तर जैसे कि स्थगन, जमानत, जमानत के निरस्तीकरण, निर्देश इत्यादि के आवेदन के प्रारूपण पर 500/– रूपये प्रति आवेदन परंतु 1000/– रूपये के अधिकतम सीमा के अध्यधीन ।

(iii) हाजिरी– 10,000/– रूपये (प्रति मामले) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, प्रत्येक प्रभावी सुनवाई पर 1000/– रूपये तथा गैर प्रभावी सुनवाई पर 750/–रूपये ।

(ख) अधिकरण/न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक मंच या प्राधिकार या आयोग समेत सभी स्तर के अधीनस्थ न्यायालय

(i) वाद, वैवाहिक कार्यवाहियों यथा तलाक, निर्वाह, अभिरक्षा, पुर्नस्थापन , उत्तराधिकार, प्रोबेट आदि, अपील के ज्ञापन, पुनरीक्षण, लिखित कथन, उत्तर, प्रत्युत्तर, पुनःआवेदन इत्यादि तात्विक अभिवचनों के प्रारूपण पर– 1200/– रूपये ।

(ii) सभी प्रकीर्ण/वादकालीन आवेदनों के लिए 800/– रूपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन स्थगन, जमानत, जमानत के रद्दकरण, निर्देष, छूट इत्यादि जैसे प्रकीर्ण/अंतर्वर्ती आवेदनों के प्रारूपण पर 400/– रूपये प्रति आवेदन ।

(iii) हाजिरी – 7,500/– रूपये (प्रति मामले) की अधिकतम सीमा के अध्यधीन प्रभावी सुनवाई पर 750/– रूपये तथा गैर प्रभावी सुनवाई पर 500/– रूपये ।

(ग) किसी मामले में, लिखित में दर्ज किये जानेवाले कारणों से, विधिक सेवा समिति/जिला प्राधिकार/राज्य प्राधिकार का अध्यक्ष मामले में अंतर्ग्रस्त मुद्दे की प्रकृति/महत्व की दृष्टि में उच्चतर फीस के भुगतान का आदेश कर सकेगा ।

(घ) (i) पैनल में मौजूद ऐसा विधि व्यवसायी, जिसे विधिक सहायता के लिए कोई मामला प्रदान किया गया है, ऐसे व्यक्ति से या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति से नगद या सामग्री या सुविधा जो आर्थिक लाभ हो या अन्यथा रूप में हो, फीस या पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त नहीं करेगा ।

(ii) पैनल में मौजूद ऐसा विधि व्यवसायी, जिसने किसी मामले में सलाह दिया हो या अभिवचन का प्रारूपण किया हो या हाजिर हुआ हो, तत्पश्चात् उस मामले में ऐसे पक्ष की ओर से उपस्थित नहीं होगा जिसका उस व्यक्ति के साथ प्रतिकूल हित है जिसे ऐसी विधिक सहायता या सलाह दी गयी है ।

(iii) उपरोल्लिखित शर्त्तों में से किसी का भी उल्लंघन को व्यवसायिक कदाचार माना जा सकेगा तथा उस विधि व्यवसायी को विधिक सहायता पैनल से हटाया जा सकेगा या/तथा संबंधित समिति/जिला प्राधिकार/राज्य प्राधिकार संबंधित अधिवक्ता के विरूद्ध कोई अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकेगा ।

7. उक्त विनियमावली,1998 के विनियम 39 (2) में शब्द "स्थाई एवं" विलोपित किए जाएंगे।

8. उक्त विनियमावली, 1998 के विनियम 39 के उपविनियम (3) के बाद निम्नलिखित उपविनियम (4) जोड़ा जाऐगा :–

" (4) नालसा के निर्देश पर आयोजित लोक अदालत (राष्ट्रीय लोक अदालत) के न्यायिक एवं गैर–न्यायिक सदस्यों का मानदेय का भुगतान नालसा के निदेशानुसार नालसा मद से किया जायेगा"।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से,

सुनील दत्त मिश्रा,

सदस्य सचिव,

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार।

The 16th May 2017

No. 01—In exercise of the powers conferred under section 29-A of Legal Services Authority Act,1987 (Act no.39 of 1987), (as amended from time to time) the Bihar State Legal Services Authority hereby makes the following (Amendment) Regulation to amend the Bihar State Legal Services Authority Regulation, 1998 (amended from time to time).

1. Short title extent and Commencement.- (1) These regulations may be called the Bihar State Legal Services Authority (Amendment) Regulations, 2017.

(2) The Provision of Sl. No.-3 and 4 of this Regulation shall come into force from 01 June 2016 and other provision shall come into from the date of issued of the Notification in the Official Gazette.

(3) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

2. Following definitions (G), (H), (I) and (J) shall be added after the definition mentioned in 2(F) of the said Regulation, 1998.

"(G) 'Continuous Lok Adalat' means Lok Adalat constituted u/s 19 of Legal Services Authority Act, 1987 which holds sittings continuously and regularly on all working days of Civil Courts.

(H) 'Special Lok Adalat' means Lok Adalat constituted u/s 19 of Legal Services Authority Act,1987 on Specified topic or topics which does not hold sitting on all working days of Civil Courts.

(I) 'Mega Lok Adalat' means Lok Adalat constituted u/s 19 of Legal Services Authority Act 1987 on all topics but which does not hold sitting on all working days of Civil Courts.

(J) 'Permanent Lok Adalat' means Lok Adalat constituted u/s 22-B of Legal Services Authorities Act, 1987 in respect of Public Utility Services.

3. In sub regulation (i) of Regulation 12 of the said Regulation, 1998 the words and figures "Rs.250/-" shall be substituted by the words and figures "Rs.-2500/-"

4. In sub regulation (i) of Regulation 16 of the said Regulation, 1998 the words and figures "Rs.-100/-" shall be substituted by the words and figures "Rs.-1500/-"

5. The Regulation,19 of the said Regulations, 1998 shall be substituted by following:-

'19 – Every person who is a bonafide resident of Bihar and who has to file or defend a case in any civil, criminal or revenue Court or before any tribunal, Juvenile Justice Board, consumer forum or any other judicial or quasi judicial authority, shall be entitled to legal services, if that person is entitled for legal services under section 12 of Legal Services Authorities Act, 1987 or if he is-

(a) a transgender; or
(b) a senior citizen; or
(c) a person infected with HIV or suffering from Cancer of any type; or
(d) a worker of unorganised sector or ;
(e) an acid attack victim or ;
(f) a person having annual income not more than Rs.1,50,000 or as may be fixed under Rule 16 of Bihar State Legal Services Authorities Rules,1996 from time to time or ;
(g) Notwithstanding the limit of income, the Legal Services Committee, District Authority or State Authority may grant Legal Aid in the following matters:-
(i) in case of great public importance;
(ii) in a case, the decision of which is likely to affect numerous persons belonging to the weaker section of the community
(iii) in any other case in which any person, for reasons to be recorded in writing by the Chairman is entitle to Legal Aid.

6. The Regulation-25 of the said Regulations, 1998 shall be substituted by the following:-

"25. Honorarium payable to Legal Practitioner on the panel (i) The concerned Legal Services Committee / District Authority / State Authority shall prepare a panel of legal practitioners who are desirous to represent or plead the case on behalf of legal aided person or on behalf of District Authority / State Authority under these regulations.

(ii) if a panel lawyer does not offer pro-bono service, the fee payable to such panel lawyer for working in courts/ Juvenile Justice Board/ Consumer Forum/ Tribunal / Judicial or Quasi Judicial Authority or Commission shall be as follows:-

(A) High Court

i) Drafting of substantive pleading such as Writ Petition, Counter Affidavit Memo of Appeal, Reply, Rejoinder, Replication-Rs.1500/-
ii) Drafting of Miscellaneous/ interlocutory applications or its reply such as stay, bail , cancellation of bail, direction etc. – Rs.500/- per application subject to maximum of Rs.1000/- for all miscellaneous/ interlocutory applications.
iii) Appearance-Rs. 1000/- per effective hearing and Rs.750/- for non effective hearing subject to maximum of Rs. 10,000/- (per case)

(B) Subordinate Courts at all level including tribunal/ Judicial or authority or commission

i) Drafting of substantive pleading such as in suit, Matrimonial proceedings such as divorce, maintenance, custody, restitution, succession, probate, memo of appeal , revision , written statement, reply , rejoinder, replication etc- Rs.1200/-
ii) Drafting of Miscellaneous/ application interlocutory applications such as stay, bail, cancellation of bail, direction, exemption etc.-Rs.400/- per application subject to maximum of Rs. 800/-for all miscellaneous /interlocutory applications.
iii) Appearance Rs. 750/- per effective hearing and Rs. 500/- for non effective hearing subject to maximum of Rs. 7,500(per case)

(C) In any case, for reasons to be recorded in writing, the Chairman of Legal Services Committee/ District Authority/ State Authority may order for payment of Higher fee in view of nature/ importance of the issue involved in the case.

(D) (i) Such Legal practitioner on the panel, to whom any case is assigned for legal aid shall not receive any fee or remuneration, whether in cash or in kind or any other advantage, monetary or otherwise from such person or from any other person on his behalf.

(ii) Such Legal practitioner on the panel who has given advice or drafted plea or appeared in any case shall not, afterwards appear in that case on behalf of a party having adverse interest with the person to whom such legal aid or advise has been given.

(iii) Violation of any of the condition mentioned above may be treated as professional misconduct and the concerned legal practitioner may be removed from the legal aid panel or/ and the concerned committee/ District Authority/ State Authority may take any other appropriate action against the concerned lawyer.

7. In Regulation 39(2) of the said Regulation 1998, the word 'Permanent and' shall be deleted.

8. The following Sub regulation (4) shall be added after sub regulation (3) of Regulation 39 of the said Regulations,1998.-

"(4). The Judicial and Non Judicial Members in Lok Adalats held on the direction of NALSA (National Lok Adalat) shall be paid Honorarium from NALSA fund as per direction".

By the order of Bihar State Legal Services Authority,
SUNIL DUTT MISHRA,
Member Secretary
Bihar State Legal Services Authority.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 419-571+200-**डी0टी0पी0।**
Website: http://egazette.bih.nic.in